

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

Phone / Fax No-01372252149

Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांक:- मान0

905 / 12-1 गोपेश्वर,

दिनांक 20/08/2022

सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड लो0नि0वि0,
कर्णप्रयाग।

विषय:- एन0पी0वी0 की संशोधित धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून का पत्रांक 1657/1-41(IV), दिनांक 07/01/2022।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत करना है कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में एन0पी0वी0 की दरों में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन (वन संरक्षण प्रभाग) इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड नई दिल्ली के फाईल सं0 5-3/2011-FC(Vol-I), दिनांक 19-01-2022 (प्रति संलग्न) को पुर्ननिर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।

पुर्ननिर्धारित एन0पी0वी0 की दरों के लागू होने की तिथि के सम्बन्ध में भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के (Forest Conservation Division) के फाईल न0 5-3/2011-FC(Vol-I), दिनांक 19-01-2022 द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार संशोधित एन0पी0वी0 की दर निम्न प्रकरणों में लागू होंगे-

1:- ऐसे प्रस्ताव जिनमें सैद्धान्तिक स्वीकृति वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2(II) के तहत दिनांक 06/01/2022 के पश्चात् प्राप्त हुए हो।

2:- ऐसे प्रस्ताव जिनमें सैद्धान्तिक स्वीकृति वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2(II) के अन्तर्गत 05 वर्ष से अधिक पूर्व अर्थात् दिनांक 06/01/2017 से पूर्व प्राप्त हुयी हो, परन्तु Stage-II का अनुमोदन दिनांक 06/01/2022 तक अप्राप्त हो।

आपके कार्यालय का निम्न वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, जो उक्त संशोधित एन0पी0वी0 दरों की परिधि में आच्छादित हैं के क्रम में अंकित विवरणानुसार अतिरिक्त एन0पी0वी0 की धनराशि जमा किया जाना अपेक्षित है।

क्र0स0	परियोजना का नाम	सैद्धान्तिक स्वीकृति का दिनांक	पूर्व की दरों के अनुसार जमा की गई एन0पी0वी0 की धनराशि	वर्तमान दरों के अनुसार एन0पी0वी0 की अवशेष धनराशि निम्नानुसार जमा किया जाना है
1	जनपद चमोली में गौधर दुआ गोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.97 है0 वन भूमि का पी0एम0जी0एस0वाई0 को प्रत्यावर्तन।	03-02-2016	4.97x8,45,000.00 = 41,99,650.00	4.97x12,92,850.00 = 64,25,465.00 (अवशेष धनराशि)= = 22,25,815.00

सुलभ संदर्भ हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन (वन संरक्षण प्रभाग) इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड नई दिल्ली के उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्तानुसार एन0पी0वी0 की अवशेष धनराशि जमा करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में विधिवत स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

भवदीय,

(इन्द्र सिंह नेगी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।